

नगर निगम, जयपुर ग्रेटर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अंतर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/JAIPUR GREATER/FIRENOC/2025-26/55262
जारी दिनांक: 26-JUN-2025 वैधता दिनांक: 25-JUNE-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SHREE NAVEEN CHOUDHARY
आवेदक का पता: PLOT NO. 21 GIRDHAR COLONY, SIKAR ROAD, MURLIPURA, JPR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

आपके भवन आदि इंटरनेशनल स्कूल, प्लॉट नं. 37, कृष्णा पुरी-II, हरमाड़ा, सीकर रोड, जयपुर का अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए। अतः राजस्थान नगर निगम नियमों के अंतर्गत निम्न शर्तों के अधीन यह स्थायी (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से वैधता दिनांक तक ही मान्य होगा। वैधता दिनांक बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- भवन के समस्त फायर व सिक्वोरिटी ऑडिट को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण कराया जाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयानुसार रिफिल कराना होगा।
- निरीक्षण के दौरान दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/अधिनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा एवं फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे होंगे एवं पूर्ण फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा एफ.एम.सी. करवायी जाकर सिस्टम को सुचारू रखा जाएगा।
- फायर वाहन आवागमन हेतु भवन के इर्द-गिर्द पर्याप्त खुला स्थान अवरोध-रहित रखा जाएगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाये।
- टॉप लेवल व दो रास्ता भवन के सभी टावर में टावर की ऊँचाई जितना हर समय भवन में सुरक्षा रहेगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- यदि भवन संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होता है यह प्रमाण पत्र सहायक मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र कम्प्यूटर रजिस्टर्ड हेतु मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वहाँ पर कम्प्यूटर रजिस्टर्ड का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

Signed by: Gautam Lal

Issuing Authority: DC/EO/Commissioner

Location: JAIPUR GREATER, Rajasthan

Date: 28/06/2025 12:51:32

अग्निशमन अधिकारी

नगर निगम, जयपुर ग्रेटर